न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 16/2022 जिला सीकर

1. मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
2. दिनेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
   जाति ब्राहमण, निवासी जगसहायपुरा, तहसील सिकराय, जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. नेतराम पुत्र सरूपा जाति कुम्हार निवासी गेरोटा तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. रेखा पुत्री सरूपा,
3. रामकिशोर पुत्र सरूपा
4. रामपती पुत्री सरूपा,
5. लल्लुराम पत्र सरूपा,
6. रामखिलाडी पुत्र सरूपा,
7. रामधन पुत्र मूल्या,
   समस्त जाति कुम्हार निवासी गेरोटा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

—रेस्पॉडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 20.12.2021

उपस्थित—

1. श्री सतीश पारीक, श्री राकेश जैमन वकील अपीलान्ट
2. श्री सी.एल.मीना, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 7
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —28.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.12.2021 के खिलाफ प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा. पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 25.02.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0600 है0, 203 रकबा 0.5200 है0, 213 रकबा 0.6800 है0, 219 रकबा 0.4500 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.4100 है0 भूमि वाके ग्राम रामा जगसहायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 68 पुराना 73 में प्रार्थीगण 1 लगायत 7 खातेदारान के नाम दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान सत्यप्रति की फोटोप्रति पेश की गई थी। आराजी उपरोक्त वर्णित में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/12, 1/12 प्रत्येक का व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। आराजी हाल खसरा नंबर 202 रकबा 0.0600 हैक्टेयर के साबिक नंबर 49/1 एवं हाल खसरा नम्बर 203 के साबिक खसरा नम्बर 49/2 एवं हाल खसरा नंबर 213 के साबिक खसरा नंबर 54/1 हाल खसरा नंबर 219 के साबिक खसरा नंबर 58/4 रहे हैं। आराजी खसरा नंबर हाल 219 जिसके साबिक खसरा नम्बर 58/4 रहे हैं पर सिंचाई का साधन खसरा नंबर 217 गै.मु. चाह है जिसका इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बदस्तूर रहा है। जिसकी तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में सैटमेंट से पूर्व ही हो रही थी। वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में पूर्व से विधमान तरमीम के विपरीत गै.मु. चाह खसरा नंबर

Scanned by CamScanner

217 के सटाकर गलत तरीके 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेज पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 7 की ओर से उनवानी प्रार्थना पत्र नेतराम बनाम राज. सरकार प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती नक्शा ट्रेस को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी लेण्ड होल्डर तहसीलदार के जारी की गई। एवं जवाब स्टेट तलब किया किया गया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत नक्शा ट्रेस वर्तमान व पूर्व की तरमीम का मिलान करने पर एवं जवाब स्टेट के बिन्दु विशेष का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि मौके पर रास्ता पूर्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुरूप ही चालू है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट मुकेश कुमार वगै0 बनाम राज. सरकार मुकदमा 493/2016 में रास्ते की अवैध तरमीम करने के आदेश पारीत नहीं फरमाये गये थे। केवल रकबा बरारी के आदेश पारीत फरमाये गये थे।

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा दिनांक 20.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 लगायत 7 ने निहायत ही झूठे आधारों पर भूमि मुतदाविया से रेस्पो. नंबर 1 लगायत 7 का कोई ताल्लुक व वास्ता हुये बिना ही गलत तथ्यों के भूमि मुतदाविया का खातेदार भौरया पुत्र अमरा ब्राहमण खातेदार होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध पेश किये गये प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार बाहर जाकर अपने पूर्व में ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के निर्णय दिनांक 17.1.2018 के विरूद्ध निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो.सं. 1 लगा.7 का वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 217 के खातेदार भी नहीं है ना ही उनका कोई सरोकार ही है ना ही वो प्रभावित पक्षकार है और पूर्व में नक्शा शीट में बदली गई नक्शा शीट की तरमीम को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई के बाद दिनांक 17.1.2018 को स्वंय के द्वारा ही निर्णय पारित किया गया है। जिसका स्पष्ट हवाला तहसीलदार सिकराय ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब के बिन्दु संख्या 4 में दिया है परन्तु मात्र रेस्पों. संख्या 1 लगायत 7 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार बाहर जाकर विधि विरूद्ध आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। रेस्पो.संख्या 7 रामधन के पुत्र कमलेश ने खसरा नंबर 212 गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके विरूद्ध तहसीलदार सिकराय द्वारा 91 लै.रे.एक्ट की कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इसलिये रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह झूंठा प्रार्थना पत्र धारा 136 ले.रे. एक्ट का प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में अपीलांट प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त भूमि खसरा नंबर 207 में होकर तरमीम कर दी गई है। इसलिये अपीलान्ट आलोच्य आदेश से प्रभावित पक्षकार है तथा आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 की कतई जानकारी नही थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार ही नहीं बनाया गया इसलिये अपीलांट को आलोच्य निर्णय की जानकारी नहीं हुई। दिनांक 22.2.2021 को अपीलांट नम्बर 2 पटवारी हल्का के पास केसीसी बनवाने के लिये जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश के बारे में बताया तब अपीलांट संख्या 2 ने दिनांक 23.2.2022 को अधीनस्थ न्यायालय से नकल निकलवायी व अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तैयार कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता ने लिखित बहस व बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों में बउनवानी नेतराम बनाम राजस्थान सरकार इस आशय का पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0600 है0, 203 रकबा 0.5200 है0, 213 रकबा 0.6800 है0, 219 रकबा 0.4500 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.4100 है0 भूमि वाके ग्राम रामा जगसहायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 68 पुराना 73 में प्रार्थीगण 1 लगायत 7 खातेदारान के नाम दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान सत्यप्रति की फोटोप्रति पेश की गई थी। आराजी उपरोक्त वर्णित में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा 1/12, 1/12 प्रत्येक का व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चला आ रहा है। आराजी हाल खसरा नंबर 202 रकबा 0.0600 हैक्टेयर के साबिक नंबर 49/1 एवं हाल खसरा नम्बर 203 के साबिक खसरा नम्बर 49/2 एवं हाल खसरा नंबर 213 के साबिक खसरा नंबर 54/1 हाल खसरा नंबर 219 के साबिक खसरा नंबर 58/4 रहे हैं। आराजी खसरा नंबर हाल 219 जिसके साबिक खसरा नम्बर 58/4 रहे हैं पर सिंचाई का साधन खसरा नंबर 217 गै.मु. चाह है जिसका इन्द्राज भी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बदस्तूर रहा है। जिसकी तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में सैटमेंट से पूर्व ही हो रही थी। वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में पूर्व से विघमान तरमीम के विपरीत गै.मु. चाह खसरा नंबर 217 के सटाकर गलत तरीके 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मय दस्तावेज पेश किया गया था। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत नक्शा ट्रेस वर्तमान व पूर्व की तरमीम का मिलान करने पर एवं जवाब स्टेट के बिन्दु विशेष का अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि मौके पर रास्ता पूर्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुरूप ही चालू है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट मुकेश कुमार वगै0 बनाम राज. सरकार मुकदमा 493/2016 में रास्ते की अवैध तरमीम करने के आदेश पारीत नहीं फरमाये गये थे। केवल रकबा बरारी के आदेश पारीत फरमाये गये थे। जिससे रास्ते के अस्तित्व पर कोई विपरीत प्रभाव कानूनन नहीं पडता है। रास्ते की तरमीम पर पूर्व नक्शा ट्रेस एवं वर्तमान नक्शा ट्रेस की स्थिति एक समान रहती है जब पूर्व नक्शा ट्रेस में ही रास्ते में किसी प्रकार का कोई घुमाव नहीं था एवं रास्ते का कोई भाग गैर मुमकिन चाहा खसरा नं. 217 से हटकर था उसके बावजूद भी वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में की गई अशुद्ध तरमीम को पूर्व नक्शा ट्रेस की तरमीम के अनुरूप दुरूस्त कराने के रेस्पोडेन्ट हक अधिकारी थे जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी बाध्यता नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.12.2021 सुस्पष्ट एवं विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी कानूनी प्रावधानों का उलंघन नहीं किया है। अपीलान्ट ने कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करने एवं रेस्पोडेन्ट के हक हकूक अधिकारों का हनन करने के आशय से ही यह अपील वेग एण्ड वेस्ट तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं

Scanned by CamScanner

शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करते समय पक्षकार नहीं बनाया था। प्रार्थीयान विवादित भूमि के खातेदार हैं एवं उन्हें बिना पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण किया। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा से प्रार्थीयान के हित प्रभावित है। प्रार्थीयान पीडित व प्रभावित हैं, उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश हुआ है। अतः प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट दिनांक 29.11.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि "बिन्दु संख्या 4 मुताबिक राजस्व नक्शा टेस के हाल खसरा संख्या 212 रकबा 0.08 किस्म गै.मु. रास्ता जमावंदी संवत 2074–77 में दर्ज है व जमाबंदी संवत 2070–73 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। माननीय न्यायालय आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सिकराय के आदेश कमांक/रीडर/18/141 दिनांक 12.03.2018 में उक्त रास्ता ख.नं. 217/0.03 किस्म गै.मु. चाह से सटाकर मुताबिक डिक्री आदेश पालना कर तरमीम की गई एवं विशेष नोट में अंकित किया गया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के मौके पर रास्ता पूर्व नक्शे के अनुसार आवागमन हेतु चालू है।" उपरोक्त अपीलार्थीगण ख.नं. 207 के रिकार्डेड खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के समक्ष जो प्रार्थना पत्र धारा 136 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 हरफूल द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसमें अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये पेश किया गया था। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 पारित किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय को सभी सबूतों एवं साक्ष्य का अवलोकन कर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है।

<u>अतः</u>–अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा का निर्णय दिनांक 20.12.2021 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner